



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क. 291

दिनांक 12.02.2020

//आदेश//

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत आयोग की 154वीं सभा दिनांक 05/02/2020 के एजेण्डा क्रमांक (154)-6 में किये गये अनुमोदन के अनुक्रम में आई.ई.एस. विश्वविद्यालय, रातीबड भोपाल को उनके मुख्य परिसर में स्थित शैक्षणिक विभागों एवं शिक्षण संस्थानों में निम्नलिखित तालिका में दर्शित पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन प्रदान की जाती है।

S.no	Name of the course	Name of Institute/Department	Ordinance No	Intake capacity
1	Bachelor of Science in Medical Laboratory Technology (BMLT)	IES Paramedical College, Bhopal	68	50
2	Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT)		67	50
3	B.Sc. (Nursing)	IES College of Nursing, Bhopal	62	60
4	Post Basic B.Sc. Nursing (PB. B.Sc. (N))		63	30
5	D Pharmacy	IES Institute of Pharmacy	60	60
6	B Pharmacy		59	100
7	B. Ed	IES College of Education, Bhopal	35	100
8	M. Ed		34	50
9	D.El.Ed		36	50
10	B.Sc. B.Ed.		39	100
11	BBA		22	120
12	B.Com		26	80
13	B.Com- Taxation		26	60
14	BCA		20	120
15	B.Com- Computer Application		26	40
16	B.Sc. (PCM)		25	80
17	B.Sc. (CS)	25	40	
18	B. Tech-Civil Engineering	IES Institute of Technology and Management	13	60
19	B. Tech-Mechanical Engineering		13	60
20	B. Tech-Computer Science and Engineering		13	120
21	B. Tech-Fire Technology and Safety Engineering		13	30
22	Diploma in Engineering-Civil Engineering		12	60
23	Diploma in Engineering-Electrical Engineering		12	60
24	D Pharmacy		60	60
25	M. Tech-Structural Engineering		14	18

26	B. Pharmacy	IES Institute of Technology and Management	59	100
27	B.Tech. (Electronics and Communication Engineering)		13	60
28	B. Tech. (Electrical and Electronics Engineering)		13	60
29	Diploma in Engineering (Mechanical Engineering)		12	60
30	Diploma in Engineering (Computer Science & Engineering)		12	60
31	B.Sc. Microbiology	Department of Life Sciences and Biological Science	25	60
32	B.Sc. Biochemistry		25	60
33	B. Sc. (Hons.) Environmental Sciences		24	60
34	B.Sc. (Chemistry, Botany, Zoology)	Department of Pure & Applied Sciences	25	60
35	M.Sc. (Physics)		27	60
36	M.Sc. (Chemistry)		27	60
37	M.Sc. (Zoology)		27	60
38	M.Sc. (Maths)		27	60

निरत - 2

M

(2)

39	M.Sc (Agriculture)	Department of Agriculture	56	120
40	B. Sc. (Hons.) in Agriculture Sciences	Sciences	54	300
41	B.P.Ed.	Department of Physical Education	42	100
42	M.P.Ed.		41	50
43	M.A. (Applied Psychology)	Department of Social Science	31	60
44	M.A. (Economics)	Department of Economics	31	60
45	M.A. (English)	Department of Language	31	60
46	M.A. (Sociology)	Department of Social Science	31	60
47	M.Sc. Nursing	IES College of Nursing, Bhopal	64	30
48	Ph.D	All discipline	10	As per availability of guide

शर्तें :-

- विभिन्न विनियामक परिषदों जैसे (एन.सी.टी.ई., ए.आई.सी.टी.ई., बार काउंसिल ऑफ इण्डिया, डी.सी.आई. आई.एन. सी., एम.सी.आई., पैरामेडिकल काउंसिल, आई.सी.ए.आर.) से अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु विभिन्न विनियामक परिषदों के मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश विभिन्न विनियामक परिषदों की गाईडलाईन के अनुसार दिये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईडलाईन / मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक से प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
- व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक परिषदों से ग्रेडिंग आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
- यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी. में) संधारित करना होगा।
- पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीरता न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।



सचिव

पृष्ठांकन क्रमांक. 219..... म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/भोपाल

दिनांक : 14/2/2020

- प्रतिलिपि:-1. कुलसचिव, आई.ई.एस. विश्वविद्यालय, रातीबड भोपाल (म.प्र.)
2. अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग को सूचनार्थ।



सचिव



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

क. 243

दिनांक 12/02/2020

//आदेश//

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत आयोग की 154वीं सभा दिनांक 05/02/2020 के एजेण्डा क्रमांक (154)-6 में आयोग द्वारा किये गये अनुमोदन के अनुक्रम में आई.ई.एस. विश्वविद्यालय, रातीबड भोपाल को उनके मुख्य परिसर में स्थित शिक्षण संस्थानों को निम्न शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय की संघटक इकाई के रूप में मान्य किया जाता है।

S.no	Name of Existing Institutes
1	IES Paramedical College, Bhopal
2	IES College of Nursing, Bhopal
3	IES Institute of Pharmacy
4	IES College of Education, Bhopal
5	IES Institute of Technology and Management

शर्त :-

1. निजी विश्वविद्यालय में वर्तमान में संचालित स्नातक /स्नातकोत्तर /डिप्लोमा एवं अन्य पाठ्यक्रमों जो पूर्व से संचालित है उन्हें नियमानुसार संघटक इकाई में शामिल करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जाए।
2. ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें संबन्धित विश्वविद्यालय /विनियामक संस्था से अनुमति प्राप्त कर पाठ्यक्रमों का संचालन हो रहा है उनमें अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
3. समस्त पाठ्यक्रमों का संचालन म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियामक परिषदों (एन.सी.टी.ई., ए.आई.सी.टी.ई., बार काउंसिल ऑफ इण्डिया, डी.सी.आई. आई.एन.सी., एम.सी.आई., पैरामेडिकल काउंसिल, आई.सी.ए.आर.) के मापदण्डों के अनुसार करना होगा तथा उक्त विनियामक परिषदों से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

पृष्ठकन क्रमांक 243..... म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/भोपाल

दिनांक 12/2/2020

- प्रतिलिपि:-1. कुलसचिव, आई.ई.एस. विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
2. अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग को सूचनाार्थ।

सचिव



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 3794/अकादमी/संबं/2020
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03.02.2020

डीन/कुलसचिव

आई.ई.एस. विश्वविद्यालय,

आई.एस. कैम्पस, कलखेड़ा, रातीबड़ मैन रोड भोपाल

विषय:- अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु सहमति बाबत।

- संदर्भ : 1. आपका पत्र क्र. क्रमांक आई.ई.एस/एनओसी/2019/143 दिनांक 17.12.2019
2. आपका पत्र क्र. क्रमांक आई.ई.एस/एनओसी/2019/140 दिनांक 17.12.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में कृपया अवगत हो कि मध्यप्रदेश शासन के राज पत्र (क्र. 347 भोपाल बुधवार दिनांक 14 अगस्त 2019) में प्रकाशित अधिसूचना (मध्यप्रदेशन निजी विश्वविद्यालय स्थापना संचालन अधिनियम 2007 द्वितीय संशोधन अधिनियम 2019) एवं अध्यादेश में (आई.एस. कालेज एजुकेशन, भोपाल) को उनके नाम के समक्ष दर्शित पाठ्यक्रमों को आई.ई.एस. विश्वविद्यालय, कलखेड़ा, रातीबड़ मैन रोड, भोपाल में सम्मिलित किया गया है। केन्द्रीय परिषदों एवं राज्य शासन से अनुमति प्राप्त होने की प्रत्याशा में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल तद्विषयक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए सिद्धांतः सहमत है।

स.क्र.	महाविद्यालय का नाम	विषय
1	आई.ई.एस कालेज आफ एजुकेशन, भोपाल	बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.काम. प्लेन, बी.काम, (अतिरिक्त विषय कम्प्युटर एप्लीकेशन), बी.काम, (अति. विषय-टेक्सेशन), बी.एस.सी., (फिजिक्स, केमेस्ट्री, मेथमेटिक्स) बी.एस.सी., (अति. विषय-कम्प्युटर साइंस) बी.एड., एम.एड., बीएस.सी.बी.एड.

इस संबंध में विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 16.01.2020 (पद क्र. 2020/01/01) एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 25.01.2020) अनुमोदन उपरांत, उक्त आशय का औपचारिक आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि उपरोक्त पाठ्यक्रम आगामी सत्र 2020-21 प्रथम वर्ष से बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से असंबद्ध होंगे।

- 2020-21 के द्वितीय, तृतीय, उत्तरार्द्ध पाठ्यक्रमों की संबद्धता एवं संबद्धता की निरंतरता (जो लागू हो) का शुल्क जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- पूर्व वर्षों के अनुत्तीर्ण/पूर्व छात्रों को उत्तीर्ण होने तक का दायित्व संबंधित महाविद्यालयों का होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी पाई जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। जिसका संपूर्ण अन्तरदायित्व महाविद्यालय, प्रबंधन का होगा।।
- बरकतउल्ला विश्वविद्यालय को कोई भी देयक पाई जाती है तो उक्त राशि तत्काल जमा करनी होगी। आदेशानुसार

(डॉ. बी. भारती)

कुलसचिव

भोपाल, दिनांक 03.02.2020

पृ0क्रमांक 3795/अकादमी/संबं/2020

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय निर्देशक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जी-7, सेक्टर-10, नियर मेट्रो स्टेशन, द्वारिका नगर, नई दिल्ली-110075 (WRC) 2
2. क्षेत्रीय संचालक, विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल
3. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. उपकुलसचिव गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
5. वेबसाइट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
6. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
7. निजी नरती।